इसे वेबसाईट **www.govtpress.mp.gov. in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2025—आश्विन 11, शक 1947

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2025

क्रमांक एफ-13-4/2017/बी-ग्यारह: मध्यप्रदेश भागीदारी (फर्मो का रजिस्ट्रीकरण) नियम,1951 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का स0 9) की धारा 71 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है। उक्त अधिनियम की धारा 71 की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के, मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिवस का अवसान होने पर, उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा ।

ऐसी किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, जो कि उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, उपर विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , औद्यौगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल में कार्यालयीन समय के दौरान प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में, नियम 19 में, खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात:-

"(एक)" अधिकतम फीस- अधिकतम फीस निम्नानुसार उदगृहीत की जायेगी :-

दस्तावेज या कृत्य जिसके विषय में फीस देय है	अधिकतम फीस
(1)	(2)
धारा 58 के अधीन कथन	छह सौ सड़सठ रूपये
धारा 60 के अधीन कथन	एक सौ बत्तीस रूपये
धारा 61 के अधीन प्रज्ञापन	एक सौ बत्तीस रूपये
धारा 62 के अधीन प्रज्ञापन	छियासठ रूपये
धारा 63 के अधीन सूचना	एक सौ बत्तीस रूपये
धारा 64 के अधीन आवेदन	छियासठ रूपये
धारा 66 की उप-धारा (1) के अधीन फर्म्स के रजिस्टर का निरीक्षण	बत्तीस रूपये
धारा 66 की उप-धारा (2) के अधीन फर्म्स से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण	बत्तीस रूपये
धारा 67 के अधीन प्रतिलिपियां	सोलह रूपये (प्रत्येक सौ शब्द या उसके भाग के लिये)।"।

No. F-13-4/2017/B-11::The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Partnership (Registration of Firm) Rules, 1951, which the State Government proposes to make in exercise of the Powers conferred by Sub-Section(1) of section 71 of the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) is hereby published as required by sub-section (3) of section 71 of the said Act for he information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Industrial Policy and Investment Promotion Department, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal during office hours from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in rule 19, for clause (i) the following clause shall be substituted namely:-

(i) Maximum fees – The Maximum fees shall be levied as under :-

Document or act in respect of which the fee is payable	Maximum Fee
(1)	(2)
Statement under section 58	Rupees six hundred sixty seven
Statement under section 60	Rupees one hundred thirty two
Statement under section 61	Rupees one hundred thirty two
Intimation under Section 62	Rupees sixty six
Notice under section 63	Rupees one hundred thirty two
Application under section 64	Rupees sixty six
Inspection of the Register of Firms under sub-section(1) of section 66	Rupees thirty two
Inspection of Document relating to a Firms under sub-section(2) of section 66	Rupees thirty two
Copies under Section 67	Rupees sixteen (for each hundred words or part thereof)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शाश्वत सिंह मीना, उपसचिव.

अंतिम नियम

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2025

एफ 1/1/2/0003/2025-sec-4-10(FOR):: जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 63 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम, 2004 के नियम 11 के उप नियम (1) में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

11. बोर्ड का सदस्य - सचिव - (1) सदस्य सचिव, राज्य सरकार द्वारा, प्रतिनियुक्ति / संविदा पर नियुक्त किया जायेगा। उसकी नियुक्ति की अवधि तथा शर्तें राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जायेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजबेन्द्र मिश्रा, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2025

क्र. F-1-1-2-0003-2025-4-दस (FOR).—भारत के संविधान के अनुच्छेच 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. F-1-1-2-0003-2025-4-दस (FOR), दिनांक 30 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजबेन्द्र मिश्रा, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 30th September 2025

No. 1/1/2/0003/2025-Sec-4-10(FOR): In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 63 of the Biological Diversity Act, 2002 (No.18 of 2003), the State Government, hereby amends sub-rule (1) of rule 11 of the Madhya Pradesh Biological Diversity Rules, 2004 as follows, namely:

Amendment

11. Member Secretary of the Board - (1) The Member Secretary shall be appointed by the State Government on deputation/contract basis. His terms and conditions of appointment shall be determined by the State Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJBENDRA MISHRA, Ex-Officio, Dy. Secy.

अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम् तल, मेट्रो प्लाजा, बिटटन मार्केट, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2025

क्रमांक–1925/मप्रविनिआ/2025– विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 द्वारा प्रदत्त तथा इस निमित सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतदद्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 (क्रमांक जी–44, वर्ष 2018) जिन्हें एतद् पश्चात् **"मूल विनियम"** निर्दिष्ट किया गया है, में संशोधन हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 में तृतीय संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ (Short Title and Commencement) :**

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2018 {एजी–44 (iii), वर्ष 2025}"** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश "राजपत्र" में इनकी प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे।

1.3 ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर लागू होंगे।

2. **मूल विनियमों के विनियम 2 में संशोधन :**

2.1 **मूल विनियमों के विद्यमान उप–खण्ड(ग) के बाद एक नवीन उप–खण्ड (गएक) निम्नानुसार अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"(गएक) **'क्षेत्र समाशोधन मूल्य (Area Clearing Price or ACP)'** से अभिप्रेत है किसी समय–खण्ड (Time Block) हेतु किसी पावर एक्सचेंज (Power Exchange) पर विपणन विभाजन (market splitting) के पश्चात् किसी/ किन्हीं विशिष्ट क्षेत्र(ों) में समस्त वैध क्रय तथा विक्रय बोलियों पर विचारोपरान्त किये गये संव्यवहार के फलस्वरूप किसी विद्युत संविदा (electricity contract) का मूल्य ;"

2.2 मूल विनियमों के उप–खण्ड (घ) के खण्ड 2(1) के स्थान पर एक नवीन उप–खण्ड (घ) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"(घ) **'उपलब्ध क्षमता (Available Capacity or 'AVC')'** से अभिप्रेत है पवन या सौर उत्पादकों हेतु जो राज्य इकाइयां हैं, पवन टरबाइनों (wind turbines) या प्रतीपकों हेतु संचयी क्षमता मूल्यांकन (cumulative capacity rating) होगी जो किसी प्रदत्त समय–खण्ड में विद्युत के उत्पादन हेतु सक्षम है :

परन्तु यह कि सौर–पवन मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के प्रकरण में, उपलब्ध क्षमता पवन टरबाइनों या सौर प्रतीपकों की संचयी क्षमता मूल्यांकन होगी जो किसी प्रदत्त खण्ड में विद्युत के उत्पादन हेतु सक्षम होगी परन्तु मेगावाट (MW) में मात्रा (quantum) से अधिक न होगी जिस हेतु संयोजकता अनुमति (connectivity permission) प्रदान की गई है तथा उक्त समूह ऊर्जा पारेषण/करार (Bulk Power Transmission Agreement) का निष्पादन किया गया है;

परन्तु आगे यह और कि उपरोक्त परियोजनाओं द्वारा ऊर्जा संचयन प्रणाली (Energy Storage System) धारित की भी जा सकती है तथा नहीं भी ;

2.3 **मूल विनियमों के खण्ड 2(1) के उप–खण्ड (ज) के स्थान पर निम्न नवीन उप–खण्ड (ज) स्थापित किया जाए, अर्थात :**

"(ज) **"विचलन–नवीकरणीय ऊर्जा (Deviation-RE) {जिसे 'निरपेक्ष त्रुटि (Absolute Error)' भी कहा गया है}** 'से अभिप्रेत है ऊर्जा संचयन प्रणाली (Energy Storage System-ESS) से युक्त तथा उसके बगैर भी पवन, सौर, सौर तथा पवन ऊर्जा के उत्पादकों के मिश्रण (हाइब्रिड) से प्राप्त वास्तविक विद्युत उत्पादन में त्रुटि का निरपेक्ष मूल्य (absolute value) जो अनुसूचित उत्पादन (Scheduled Generation) तथा 'उपलब्ध क्षमता (Available Capacity-AvC) के संदर्भ में राज्य इकाइयां (State Entities) हैं जैसा कि इसकी गणना 15 मिनट के समय–खण्ड हेतु निम्न सूत्र के प्रयोग द्वारा की गई हो :

त्रुटि (Error) (प्रतिशत में) =100 x [वास्तविक विद्युत उत्पादन–अनुसूचित विद्युत उत्पादन]/उपलब्ध क्षमता (AvC) :

परन्तु यह कि प्रत्येक 15 मिनट के समय–खण्ड हेतु स्वचलित ऊर्जा संचयन प्रणालियां (Stand alone ESS) जो राज्य इकाइयां हैं, के विचलन की गणना निम्न सूत्र के प्रयोग द्वारा की जाएगी :

विचलन–सामान्य विक्रेता (Deviation-General Seller-Dgs) = (वास्तविक विद्युत उत्पादन–अनुसूचित विद्युत उत्पादन) ;''

2.4 **मूल विनियमों के खण्ड 2(1) के उप–खण्ड (ज) के पश्चात् एक नवीन उप–खण्ड (जक) निम्नानुसार अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :**

''(जक) **'ऊर्जा संचयन प्रणाली ('Energy Storage System or 'ESS')'** से अभिप्रेत है कोई सुविधा जहां विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन ऊर्जा के किसी भी रूप में किया जाता हो जिसका संचय किया जा सकता हो तथा तदोपरान्त विद्युत ऊर्जा (electrical energy) में पुनः परिवर्तित किया जा कर इसे पुनः ग्रिड में अन्तःक्षेपित (injected back) किया जा सकता हो;''

2.5 **मूल विनियमों के खण्ड 2(1) के उप–खण्ड (ञ) के पश्चात् एक नवीन उप–खण्ड (ञक) निम्नानुसार अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :**

''(ञक) **'सामान्य विक्रेता (General Seller)'** से अभिप्रेत है कोई विक्रेता जो पवन, या सौर या फिर पवन–सौर ऊर्जा के मिश्रित (हाइब्रिड) संसाधनों से पृथक संसाधनों पर आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र का विक्रेता हो ;''

2.6 **मूल विनियमों के खण्ड 2(1) के उप–खण्ड (ण) के स्थान पर एक नवीन उप–खण्ड (ण) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

''(ण) **'नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं (RE Projects)'** से अभिप्रेत है ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से युक्त या उसके बगैर पवन ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजनाएं, ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से युक्त या उसके बगैर सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजनाएं, ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से युक्त या उसके बगैर सौर–पवन ऊर्जा मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादन परियोजनाएं और स्वचलित ऊर्जा संचयन प्रणाली (Stand-alone ESS), भले ही उन्हें क्रियाशील करने की तिथि (Date of Commissioning) जो भी हो, तथा पारिभाषिक शब्द नवीकरणीय परियोजनाओं (RE Projects) का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा ;''

2.7 **मूल विनियमों के खण्ड 2(1) के उप–खण्ड (द) के स्थान पर एक नवीन उप–खण्ड (द) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

''(द) **'निकाय स्टेशन (Pooling Station)'** से अभिप्रेत है कोई उप–केन्द्र (Sub-Station) जहां ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से युक्त या उसके बगैर वैयक्तिक पवन ऊर्जा उत्पादकों से प्राप्त विद्युत उत्पादन/ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से युक्त या

उसके बगैर वैयक्तिक सौर ऊर्जा उत्पादकों से प्राप्त विद्युत उत्पादन/ऊर्जा संचयन प्रणाली से युक्त या उसके बगैर वैयक्तिक सौर–पवन मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादन परियोजना से प्राप्त विद्युत उत्पादन/स्वचालित ऊर्जा संचयन प्रणाली से प्राप्त विद्युत उत्पादन का समेकन (Pooling) आगामी उच्चतर वोल्टेज स्तर के साथ अन्तर्संयोजन (interfacing) हेतु किया जाता है :

परन्तु यह कि जहां ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से युक्त या उसके बगैर किसी पवन ऊर्जा/ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से युक्त या उसके बगैर किसी सौर ऊर्जा/ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से युक्त या उसके बगैर किसी सौर–पवन मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादन परियोजनाओं/स्वचलित ऊर्जा संचयन प्रणाली हेतु कोई पृथक समेकन केन्द्र (निकाय स्टेशन) (Pooling Station) न हो तथा विद्युत उत्पादन केन्द्र किसी सामान्य संभरक (feeder) से संयोजित हो और विद्युत वितरण कम्पनी/राज्य पारेषण उपयोगिता (STU)/केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता (CTU) पर इसका समापन हो तो यथास्थिति, ऐसी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं हेतु विद्युत वितरण कम्पनी/राज्य पारेषण उपयोगिता (STU)/केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता (CTU) के उपकेन्द्र को समेकन केन्द्र/निकाय स्टेशन (Pooling Station) माना जाएगा :

परन्तु आगे यह और कि ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से युक्त या उसके बगैर सौर–पवन ऊर्जा परियोजना की अवस्थिति उसी स्थल पर या अधिकतम दो विभिन्न अवस्थितियों पर तथा ऐसे प्रकरण में जहां वे सह–अवस्थित (Co-located) न हों, वहां ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से युक्त या उसके बगैर किसी मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजना को, विभिन्न अवस्थिति पर दो बिन्दुओं पर संयोजित किया जा सकेगा। तथापि, ऐसे प्रकरण में दोनों बिन्दुओं पर ग्रिड से संयोजन केवल समर्पित संभरक (dedicated feeder) के माध्यम से ही किया जा सकेगा ;''

2.8 **मूल विनियमों के 'उप–खण्ड (ध) के पश्चात् एक नवीन उप–खण्ड (धक) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात :**

''**(धक) 'संदर्भ प्रभार दर (Reference Charge Rate or RR)'** से अभिप्रेत है :

(एक) सामान्य विक्रेता (general seller) के बारे में जिसकी विद्युत–दर (टैरिफ) अधिनियम की धारा 62 या धारा 63 या धारा 86(1)(ख) के अधीन अवधारित या अंगीकृत या अनुमोदित की जाती हो वहां ऊर्जा प्रभार (रूपये

प्रति किलोवाट ऑवर (kWh) में) जैसा कि इसे समुचित आयोग द्वारा अवधारित या अंगीकृत या अनुमोदित किया जाए; या

(दो) किसी सामान्य विक्रेता के बारे में जिसकी विद्युत–दर अधिनियम की धारा 62, या धारा 63 या धारा 86(1)(ख) के अधीन अवधारित, अंगीकृत या अनुमोदित न की जाती हो तथा विद्युत का विक्रय पावर एक्सचेंज(ों) के माध्यम से किया जाए वहां तत्संबंधी संव्यवहार (transaction) हेतु पावर एक्सचेंज में प्रचलित दर पर किया जाएगा ; या

(तीन) ऐसे स्त्रोतों पर आधारित जो नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत न हों, के आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (Captive Generating Plant) की आबद्ध विद्युत खपत के प्रकरण में यह दर समस्त पावर एक्सचेंजों के एकीकृत–दिवस पूर्व विपणन खण्डों (Integrated-Day Ahead Market Segments) के भारित औसत क्षेत्र समाशोधान मूल्य {weighted average Area Clearing Price (ACP)} पर आधारित होगी ; या

(चार) बहुविध संविदाओं (multiple contracts) या संव्यवहारों हेतु (transactions) आबद्ध खपत (Captive Consumptions) को सम्मिलित करते हुए, के प्रकरण में यह दर ऐसी समस्त संविदाओं या संव्यवहारों की संदर्भ दरों का भारित औसत होगी।''

2.9 **मूल विनियमों के खण्ड 2(1) के प्रस्तावित उप–खण्ड (धक) के बाद एक नवीन उप–खण्ड (धख) निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :**

''(धख) **'नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन केन्द्र (Renewal Energy Generating Station or REGS)'** से अभिप्रेत है ऊर्जा संचयन प्रणाली से युक्त या उसके बगैर ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोत पर आधारित कोई विद्युत उत्पादन केन्द्र तथा इसमें नवकरणीय मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादन केन्द्र भी सम्मिलित होंगे;''

3. **मूल विनियमों के विनियम 3 में संशोधन :**

मूल विनियमों के खण्ड 3(2) के स्थान पर खण्ड 3(2) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :

''(2) ये विनियम उस/उन विक्रेता(ओं) को लागू होंगे जो यथास्थिति विद्युत के राज्यान्तरिक पारेषण या वितरण में {विद्युत के राज्यान्तरिक चक्रण (wheeling) को

सम्मिलित करते हुए} लघु–अवधि निर्बाध (खुली) पहुंच या मध्यम अवधि निर्बाध (खुली) पहुंच या दीर्घ–अवधि निर्बाध (खुली) पहुंच में सहयोजित है/हैं जिनका संबंध समस्त पवन ऊर्जा विद्युत उत्पादकों से जिनकी संयुक्त स्थापित क्षमता 10 मेगावाट (MW) है तथा सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादकों से जिनकी स्थापित क्षमता 5 मेगावाट (MW) तथा इससे अधिक है। इसके अन्तर्गत ऐसे विद्युत उत्पादक भी सम्मिलित है जो समेकित केन्द्रों/निकाय स्टेशनों के माध्यम से संयोजित हैं तथा राज्य के भीतर विद्युत का विक्रय कर रहे हैं। उपरोक्त उल्लेखित पवन, सौर तथा सौर–पवन मिश्रित उत्पादन परियोजना के अन्तर्गत ऊर्जा संचयन प्रणालियों (ESS) को भी धारित किया जा सकता है :

परन्तु यह कि ये विनियम ऐसी समस्त स्वचलित ऊर्जा संचयन प्रणालियों (Stand-alone ESS) को भी लागू होंगे जिनकी स्थापित क्षमता 10 मेगावाट तथा इससे अधिक है तथा इसमें वे प्रणालियां भी सम्मिलित हैं जो राज्य के भीतर समेकित केन्द्रों/निकाय स्टेशनों से संयोजित हैं तथा राज्य के भीतर विद्युत का विक्रय कर रहे हों :

परन्तु आगे यह और कि ये विनियम ऐसे समस्त स्वचलित ऊर्जा संचयन प्रणालियों (Stand-alone ESS), पवन, सौर तथा सौर–पवन मिश्रित (हाइब्रिड) उत्पादन परियोजनाओं को भी लागू होंगे जो राज्य के बाहर निर्बाध (खुली) पहुंच के अधीन विद्युत का विक्रय कर रहे हों तथा जिनकी संयुक्त स्थापित क्षमता एक मेगावाट या उससे अधिक है।''

4. मूल विनियमों के अनुलग्नक–एक में संशोधन :

4.1 मूल विनियमों के अनुलग्नक–1 के खण्ड 2 (पांच)(i) के स्थान पर नवीन खण्ड 2(पांच)(i) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :

''(पांच)(i) 'क्यूसीए' अन्तर्संयोजन बिन्दु पर निकाय केन्द्र(ों) से संयोजित समस्त पवन/ सौर /मिश्रित (हाइब्रिड) केन्द्रों पर, जो ऊर्जा संचयन प्रणालियों से युक्त हैं या विहीन हैं तथा स्वचलित ऊर्जा संचयन प्रणालियों की ओर से भी राज्य भार प्रेषण केन्द्र को दिवस–भीतर (Intraday) नियतकालिक पुनरीक्षण दिवस–पूर्व उपलब्ध क्षमता तथा पूर्वानुमानित विद्युत उत्पादन के आंकड़े 15 मिनट खण्ड–वार उपलब्ध करायेंगे तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र से अनुसूचीकरण बाबत राज्य भार प्रेषण केन्द्र से समन्वयन भी करेंगे :

परन्तु यह कि :

एक) अन्तःक्षेपण के समय ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से या फिर दोनों सौर/पवन/मिश्रित (हाइब्रिड) या स्वचलित ऊर्जा संचयन प्रणाली (Stand-alone ESS) से संयोजित पुर्वानुमान को 'क्यूसीए' द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

दो) ऊर्जा संचयन प्रणाली को प्रभारित करने हेतु ऊर्जा का अनुसूचीकरण राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा क्रेता तथा विक्रेता के मध्य निष्पादित संविदाओं के अनुसार किया जाएगा। ऊर्जा का अनुसूचीकरण राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा क्यूसीए द्वारा प्रदान की जाने वाली पृथक मांग के अनुसार ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) को प्रभारित करने हेतु किया जाएगा।

टीप : ग्रिड से ऊर्जा के अन्तःक्षेपण (injection) तथा आहरण (drawal) हेतु पृथक–पृथक प्रतीक–चिन्ह परिपाटी (sign convention) का उपयोग किया जाएगा।''

4.2 मूल विनियमों के अनुलग्नक–एक के खण्ड 4(iii) के स्थान पर नवीन खण्ड 4(iii) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :

'(iii) 'क्यूसीए' निकाय स्टेशन/समेकित केन्द्र (Pooling Station) से संयोजित ऊर्जा संचयन प्रणाली से युक्त या उसके बगैर भी पवन/सौर/मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादकों की ओर से ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से युक्त या उसके बगैर भी प्रत्येक निकाय स्टेशन/समेकित केन्द्र (Pooling Station) हेतु 15 मिनट के समय–खण्ड में उपलब्ध क्षमता (Available Capacity) तथा पूर्वानुमान उत्पादन (forecast generation) घोषित करेगा।''

4.3 मूल विनियमों के विद्यमान खण्ड 5(iii) के पश्चात् नवीन खण्ड (iv) तथा (v) निम्नानुसार जोड़े जाएं, अर्थात् :

''(iv) ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से युक्त पवन/सौर/मिश्रित (हाइब्रिड) उत्पादकों के प्रकरण में, प्रत्येक पवन/सौर/मिश्रित (हाइब्रिड) निकाय स्टेशन/समेकित केन्द्र (Pooling Station) तथा ऊर्जा संचयन प्रणाली को मय स्वचालित मापयन्त्र वाचन (AMR) व्यवस्था के विशेष ऊर्जा मापयन्त्र (Special Energy Meter-SEM) के साथ पृथक–पृथक मीटरीकृत किया जाएगा ताकि वैयक्तिक वास्तविक अन्तःक्षेपण/आहरण के आंकड़ों का अधिग्रहण (Capture) किया जा सके।

(v) राज्य विद्युत वितरण कम्पनी (State Discom) द्वारा ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) के साथ पवन, सौर तथा मिश्रित (हाइब्रिड) व्यवस्था द्वारा गैर–उत्पादन घंटों (non-

generation hours) के दौरान स्वयं के उपयोग हेतु {संयन्त्र के तुल्यकालन (Synchronization) या केन्द्र के बन्द होने (shut-down) के दौरान या सहायक खपत, आदि बाबत विद्युत आहरण की बिलिंग के लिये एक पृथक संयोजन (Connection) प्रदान किया जाएगा।''

4.4 **मूल विनियमों के अनुलग्नक–एक के खण्ड 6(क) के स्थान पर नवीन खण्ड 6(क) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

''(क) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी अनुसूचियों के आधार पर तथा संबंधित विद्युत वितरण कम्पनियों/राज्य भार प्रेषण उपयोगिता से प्राप्त विशेष ऊर्जा मापयन्त्र (SEM) आंकड़ों के आधार पर या फिर स्वचालित मापयन्त्र वाचन प्रणाली (AMR System) के माध्यम से ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से युक्त या उसके बगैर या स्वचलित ऊर्जा संचयन प्रणाली (Stand-alone ESS) हेतु अर्हतायुक्त {पवन तथा सौर समेकित निकाय स्टेशनों (Pooling Stations) के पवन/सौर/मिश्रित उत्पादन केन्द्रों हेतु} विचलन प्रभारों की गणना करेगा।''

4.5 **मूल विनियमों के अनुलग्नक–एक के खण्ड 6(ङ) (एक) (ii) के स्थान पर नवीन खण्ड 6(ङ) (एक) (ii) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

''(ii) अनुसूचित उत्पादन वास्तविक उत्पादन से कम होने की दशा में, उत्पादन में कमी के बारे में विचलन प्रभार ऊर्जा संचयन प्रणालियां जो राज्य इकाइयां हैं से युक्त या उसके बगैर सौर अथवा पवन उत्पादकों या सौर तथा पवन उत्पादकों की मिश्रण (हाइब्रिड) व्यवस्था को राज्य विचलन निकाय खाते (State Deviation Pool Account) से देय होगा जैसा कि इसे परिचालन प्रक्रिया (Operating Procedure) के अन्त में संलग्न सारणी–एकक तथा दोक में दर्शाया गया है।''

4.6 **मूल विनियमों के अनुलग्नक–एक के खण्ड 6(ङ) (एक) (iii) के स्थान पर नवीन खण्ड 6(ङ) (एक) (iii) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

''(iii) अनुसूचित उत्पादन वास्तविक उत्पादन से अधिक होने की दशा में, उत्पादन में, आधिक्य उत्पादन हेतु विचलन प्रभार, ऊर्जा संचयन प्रणालियां, जो राज्य इकाइयां हैं, से युक्त या उसके बगैर सौर अथवा पवन उत्पादकों या सौर तथा पवन उत्पादकों की मिश्रण (हाइब्रिड) व्यवस्था को राज्य विचलन निकाय खाते (State Deviation Pool Account) से देय होगा जैसा कि इसे परिचालन प्रक्रिया (Operating Procedure) के अन्त में संलग्न सारणी–एकख तथा दोख में दर्शाया गया है।''

4.7 **मूल विनियमों के अनुलग्नक–एक के खण्ड 6(ङ) (एक) (iv) के स्थान पर नवीन खण्ड 6(ङ) (एक) (iv) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"(iv) तालिका एकक तथा एकख तथा तालिका दोक तथा दोख में संदर्भित स्थाई प्रभार (Fixed Rate) विद्युत क्रय अनुबन्ध (Power Purchase Agreement) दर है जैसा कि इसे विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अधीन आयोग द्वारा अवधारित किया गया है या विद्युत अधिनियम की धारा 63 के अधीन आयोग द्वारा अंगीकृत (adopt) किया गया है। बहुविध विद्युत क्रय अनुबन्धों के प्रकरण में विद्युत क्रय अनुबन्ध के भारित औसत को स्थाई दर (Fixed Rate) के रूप में लिया जाएगा। ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से युक्त या उसके बगैर पवन, सौर तथा मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादकों द्वारा शपथ–पत्र (affidavit) पर राज्य भार प्रेषण केन्द्र को विचलन प्रभार लेखा (deviation charge account) तैयार करने के प्रयोजन हेतु, विद्युत क्रय अनुबन्ध की प्रतिलिपि द्वारा समर्थित विद्युत क्रय अनुबन्ध दरों को प्रस्तुत किया जाएगा।"

4.8 **मूल विनियमों के अनुलग्नक–एक के खण्ड 6(ङ) (एक) (v) के स्थान पर नवीन खण्ड 6(ङ) (एक) (v) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"(v) निर्बाध (खुली) पहुंच प्रतिभागियों (Participants) हेतु स्थाई दर (Fixed Rate) जहां कोई भी विद्युत क्रय अनुबन्ध दर उपलब्ध न हो वहां केन्द्रीय आयोग द्वारा औसत विद्युत क्रय लागत (Average Power Purchase cost) को समय–समय पर पृथक आदेश के माध्यम से अवधारित किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि जहां ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) को सामान्य विक्रेता के रूप में माना जाए वहां संदर्भ प्रभार दर (Reference Rate) को विचलन प्रभारों की संगणना हेतु विचलन प्रभार दर (Deviation Charge Rate) के रूप में माना जाएगा।"

4.9 **मूल विनियमों के अनुलग्नक–एक के खण्ड 6(ङ) (दो) (ii) के स्थान पर नवीन खण्ड 6(ङ) (दो) (ii) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"(ii) ऐसी दशा में जहां यथास्थिति विद्युत उत्पादन केन्द्र या निकाय स्टेशन/ समेकित केन्द्र (Pooling Station) का वास्तविक विद्युत उत्पादन अनुसूचित उत्पादन से कम या अधिक हो, वहां कमी (shortfall) या आधिक्य (excess) हेतु विचलन प्रभारों का भुगतान ऊर्जा संचयन प्रणाली से युक्त या उसके बगैर सौर तथा पवन उत्पादक(ों) की पवन या सौर या मिश्रित (हाइब्रिड) व्यवस्था द्वारा या 'क्यूसीए' द्वारा यथास्थिति

भुगतान इन परिचालन प्रक्रियों के अन्त में संलग्न सारणी–तीन या सारणी–चार में दर्शाये गये अनुसार राज्य विचलन निकाय लेखा (State Deviation Pool Account) को देय होगा।''

4.10 मूल विनियमों के अनुलग्नक–एक के खण्ड 6(ङ) (दो) (iv) के स्थान पर नवीन खण्ड 6(ङ) (दो) (iv) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :

''(iv) ऊर्जा संचयन प्रणाली से युक्त तथा उसके बगैर सौर तथा पवन विद्युत उत्पादकों की समस्त पवन या सौर या मिश्रित (हाइब्रिड) प्रणालियों और स्वचलित ऊर्जा संचयन प्रणालियों (Stand-alone ESS) को एक–साथ मिलकर आभासी निकाय (Virtual Pool) माना जाएगा। इस आभासी निकाय हेतु तथा इसके अन्तर्गत विचलनों को प्रथम उपरोक्त विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु उपरोक्त निर्धारित दरों तथा क्रियाविधि के अनुसार व्यवस्थापित (settle) किया जा सकेगा।''

4.11 विद्यमान खण्ड 6(ङ) (दो) के पश्चात् एक नवीन खण्ड 6(ङ) (तीन) निम्नानुसार जोड़ा जाए, अर्थात् :

''(तीन) (एक) स्वचलित ऊर्जा संचयन प्रणाली (Stand-alone ESS) (दो) ऊर्जा संचयन प्रणाली मय पवन/सौर उत्पादकों के साथ तथा केवल ऊर्जा संचयन प्रणाली ग्रिड से ऊर्जा का अन्तःक्षेपण या आहरण कर रही है, जिसकी गणना नदी बहाव (RoR) विद्युत उत्पादन केन्द्र तथा नगरपालिक ठोस अपशिष्ट पर आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र को छोड़कर सामान्य विक्रेता के रूप में की जाएगी जैसा कि इसे केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा यथासंशोधित विनियम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तन्त्र) और संबंधित मामले विनियम, 2024 में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार किया गया है :

परन्तु यह कि जब ऊर्जा संचयन प्रणाली आवेशन पद्धति (Charging Mode) में हो तो आधिक्य आहरण (Overdrawal) के रूप में तद्नुसार कम आहरण (under drawal) को आधिक्य अन्तःक्षेपण माना जाएगा तथा विचलन हेतु प्रभारों का तद्नुसार व्यवस्थापन किया जाएगा :

परन्तु आगे यह और कि विचलन हेतु प्रभारों की संगणना स्वचलित ऊर्जा संचयन प्रणाली के पम्पयुक्त जल विद्युत संचयन संयन्त्र के रूप में होने के कारण वैसी ही होगी जैसा कि वह इन विनियमों के प्रकाशन की तिथि से 31.3.2026 तक हो जिसके पश्चात् विचलन के प्रभारों की संगणना स्वचलित ऊर्जा संचयन प्रणाली

के पम्पयुक्त जल विद्युत संग्रहण संयन्त्र के रूप में होने के कारण सामान्य विक्रेता के समकक्ष होगी :

परन्तु यह और भी कि पवन/सौर/मिश्रित विद्युत उत्पादकों के ऊर्जा संचयन प्रणाली से युक्त होने की दशा में वह राज्यान्तरिक संव्यवहारों हेतु अन्तःक्षेपण अनुसूची के अभाव में करती हो तो विचलन प्रभारों की संगणना विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु निर्दिष्ट क्रियाविधि के अनुसार की जाएगी जिसके साथ ऊर्जा संचयन प्रणाली संयोजित (Coupled) है।"

4.12 मूल विनियमों के अनुलग्नक–एक के खण्ड आठ के स्थान पर नवीन खण्ड आठ निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"(8) अर्हतायुक्त समन्वयन अभिकरण (QCA) को पवन तथा सौर उत्पादन केन्द्रों के विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि (DSM) प्रभारों के प्रति निम्न प्रतिभूति राशि बैंक गारंटी (BG) के रूप में राज्य विचलन समूह खाते में जमा करनी होगी :

(एक) ऊर्जा संचयन प्रणाली (ESS) से युक्त या उसके बगैर सौर विद्युत उत्पादन हेतु–रू 10,000/– प्रति मेगावाट, सौर विद्युत उत्पादन केन्द्र (Solar Generating Station) की स्थापित क्षमता हेतु

(दो) ऊर्जा संचयन प्रणाली से युक्त तथा उसके बगैर पवन विद्युत उत्पादन हेतु–रू 40,000/– प्रति मेगावाट, पवन विद्युत उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता हेतु

(तीन) ऊर्जा संचयन प्रणाली से युक्त तथा उसके बगैर सौर–पवन मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादन परियोजनाओं हेतु–रू 25,000/– प्रति मेगावाट, सौर तथा पवन विद्युत उत्पादन केन्द्रों की संयुक्त स्थापित क्षमता हेतु या मेगावाट में मात्रा जिस हेतु संयोजकता (connectivity) प्रदान की गई है, इनमें से जो भी कम हो

(चार) स्वचलित ऊर्जा संचयन प्रणाली परियोजनाओं (Stand-alone ESS Projects) हेतु –रू 5,000 प्रति मेगावाट, स्वचलित ऊर्जा संचयन प्रणाली परियोजना की स्थापित क्षमता हेतु

(पांच) प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी तीन वर्षों की अवधि के लिये वैध होगी जिसे किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी किया गया हो तथा इसमें आवश्यकतानुसार समय–समय पर वृद्धि की जाएगी। प्रतिभूति राशि की

समीक्षा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रति वर्ष माह मई के अन्त तक पूर्व वर्ष के दौरान विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि (DSM) की वास्तविक घटना (incidence) पर आधारित की जाएगी।

(छः) 'क्यूसीए' द्वारा 'राज्य विचलन समूह खाते' में विचलन हेतु प्रभारों का विवरण–पत्र जारी होने के बारह दिवस की निर्दिष्ट अवधि के भीतर भुगतान न किये जाने पर तथा तत्पश्चात् विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि (DSM) लेखा जारी होने के 60 दिवस की चूक होने के बावजूद भी उसके द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो राज्य भारण प्रेषण केन्द्र संबद्ध 'क्यूसीए' की बैंक गारंटी का नगदीकरण कर सकेगा तथा संबद्ध क्यूसीए को इसकी राशि की प्रतिपूर्ति (recoupment) एक माह की अवधि के भीतर करनी होगी। तथापि, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा साप्ताहिक विवरण पत्र प्रक्रिया के क्रियान्वयन के बाद, प्रतिपूर्ति अवधि को 15 दिवस तक कम कर दिया जाएगा।''

टीपः– इन विनियमों के हिन्दी रूपान्तरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचना या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्त पाण्डा, आयोग सचिव.

Bhopal, the 3rd October 2025

No. 1925/MPERC/2025 In exercise of powers conferred by Section 181 of the Electricity Act 2003, (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations to amend Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement Mechanism and related Matters of wind and Solar Generating Stations) Regulations, 2018 ({G-44 of 2018} herein after referred to as "the Principal Regulations" namely: -

THIRD AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (FORECASTING, SCHEDULING, DEVIATION SETTLEMENT MECHANISM AND RELATED MATTERS OF WIND AND SOLAR GENERATING STATIONS) REGULATIONS, 2018

1. Short Title and Commencement.

1.1. These Regulations shall be called **"Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement Mechanism and related Matters of wind and Solar Generating Stations) Regulations, 2018 (Third Amendment) {AG-44(iii) of 2025}"**.

1.2. These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

1.3. These Regulations shall extend to the whole of Madhya Pradesh.

2. Amendment to Regulation 2 of the Principal Regulations.

2.1 A new sub-clause (c1) shall be inserted after existing sub-clause (c) of clause 2(1) of the Principal Regulations, namely:

"(c1) 'Area Clearing Price' or 'ACP' means the price of an electricity contract for a time block transacted on a Power Exchange after considering all valid buy and sale bids in a particular area(s) after market-splitting;"

2.2. Sub-clause (d) of clause 2 (1) of the Principal Regulations shall be substituted by a new sub-clause (d), namely:

"(d) 'Available Capacity' or **'AvC'** for wind or solar generators, which are state entities, shall be the cumulative capacity rating of the wind turbines or solar inverters that are capable of generating power in a given time-block:

Provided that in case of Solar Wind Hybrid Generating Projects, the Available Capacity shall be the cumulative capacity rating of the wind turbines or solar inverters that are capable of generating power in a given

time block but not exceeding the quantum in MW for which connectivity permission is granted and for the same Bulk Power Transmission Agreement (BPTA) has been executed:

Provided further that the aforesaid projects may or may not have Energy Storage System:"

2.3 Sub-clause (h) of clause 2 (1) of the Principal Regulations shall be substituted by a new sub-clause (h), namely:

"**(h) 'Deviation-RE (also termed as Absolute Error')** shall mean the absolute value of the error in the actual generation of wind, solar, hybrid of solar and wind generators with or without ESS which are state entities with reference to the scheduled generation and the 'Available Capacity' (AvC), as calculated using the following formula for each 15-minute time block:

Error (%) = 100 X [Actual Generation- Scheduled Generation]/(AvC);

Provided that the Deviation of Stand-alone ESS which are state entities shall be calculated using the following formula for each 15 minutes time block:

Deviation-general seller (Dgs) = (Actual Generation-Scheduled Generation);"

2.4 A new sub-clause (ha) shall be inserted after sub-clause (h) of clause 2 (1) of the Principle Regulations, namely:

"**(ha) 'Energy Storage System'** or **'ESS'** means a facility where electrical energy is converted into any form of energy, which can be stored and subsequently reconverted into electrical energy and injected back into the grid;"

2.5 A new sub-clause (ja) shall be inserted after sub-clause (j) of clause 2 (1) of the Principle Regulations, namely:

"**(ja) 'General Seller'** means a seller in case of a generating station based on resources other than wind or solar or hybrid of wind-solar resources;"

2.6 Sub-clause (o) of clause 2 (1) of the Principal Regulations shall be substituted by a new sub-clause (o), namely:

"**(o) 'RE Projects'** shall mean all Wind Generating Projects with or without ESS, Solar Generating Projects with or without ESS, Solar Wind Hybrid Generation Projects with or without ESS and Stand-alone ESS irrespective

of their dates of Commissioning and the term RE Projects shall be construed accordingly:"

2.7 Sub-clause (r) of clause 2 (1) of the Principal Regulations shall be substituted by a new sub-clause (r), namely:

"**(r) 'Pooling Station'** means the sub-station where pooling of generation of individual wind generators with or without ESS/ solar generators with or without ESS/ Solar Wind Hybrid Generation Project with or without ESS/ Stand-alone ESS is done for interfacing with the next higher voltage level:

Provided that where there is no separate pooling station for a wind with or without ESS/solar with or without ESS/ Solar Wind Hybrid Generation Projects with or without ESS/Stand-alone ESS and the generating station is connected through common feeder and terminated at a sub-station of distribution company/STU/CTU, the substation of distribution company/STU/CTU shall be considered as the pooling station for such Generation Projects , as the case may be;

Provided further that Solar Wind Hybrid Power Project with or without ESS may be located at same or maximum 2 different locations and in case of not being Co-located, a hybrid project with or without ESS is to be connected at 2 points at different locations. However, connection with grid at both the points in such a case shall be through dedicated feeders only;"

2.8 A new sub-clause (sa) shall be inserted after sub-clause (s) of clause 2 (1) of the Principle Regulations, namely:

"**(sa) 'Reference Charge Rate'** or **'RR'** means

(i) in respect of a general seller whose tariff is determined or adopted or approved under Section 62 or Section 63 or Section 86 (1) (b) of the Act, Rs./kWh energy charge as determined or adopted or approved by the Appropriate Commission; or

(ii) in respect of a general seller whose tariff is not determined or adopted or approved under Section 62 or Section 63 or Section 86 (1) (b) of the Act, and selling power through power exchange(s), the price as discovered in the power exchange for the respective transaction; or

(iii) in case of a captive consumption of a captive generating plant based on resources other than renewable energy sources, the weighted average ACP of the Integrated-Day Ahead Market segments of all the Power Exchanges for the respective time bock;

(iv) in case of multiple contracts or transactions including captive consumption, the weighted average of the reference rates of all such contracts or transactions;

2.9 A new sub-clause (sb) shall be inserted after proposed sub-clause (sa) of clause 2 (1) of the Principal Regulations, namely:

" (sb) **'Renewable Energy Generating Station'** or **'REGS'** means a generating station based on renewable source of energy with or without Energy Storage System and shall include Renewable Hybrid generating Stations;"

3. Amendment to Regulation 3 of the Principal Regulations.

The clause 3 (2) of the Principal Regulations is substituted by following clause 3(2), namely:

"(2) These Regulations shall be applicable to Seller(s) involved in the transactions facilitated through short-term open access or medium-term open access or long-term open access in intra-state transmission or distribution of electricity (including intra-state wheeling of power), as the case may be, in respect of all wind power generators having a combined installed capacity of 10 MW and above, solar power generators having installed capacity of 5 MW and above and hybrid of wind & solar power generators having installed capacity of 10MW and above including those connected via pooling stations and selling power within the State. The above-mentioned wind, solar, and solar-wind hybrid generation project may have energy storage systems (ESS):

Provided that these Regulations shall also be applicable to all Stand-alone ESS having installed capacity of 10 MW and above including those connected via pooling stations and selling power within the State;

Provided further that these Regulations shall also be applicable to all Stand-alone ESS, wind, solar and Solar Wind Hybrid Generation projects selling power outside the State under open access and having combined installed capacity of 1 MW and above."

4. Amendment to Annexure - I of the Principal Regulations.

4.1 Clause 2 (V) (i) of the Annexure – I of the Principal Regulation shall be substituted by following clause 2 (V) (i), namely:

"(V) (i) QCA shall provide 15 minutes block- wise Available Capacity and Forecasted Generation on day ahead basis with Intraday periodic revisions of the same to SLDC on behalf of all the Wind/Solar/Hybrid Generating stations with or without ESS and Stand-alone ESS connected to the pooling station(s) at interconnection point and also coordinate with SLDC for scheduling:

Provided that

i) The combined forecast at the time of injection either by ESS or from both solar/wind/hybrid and Stand-alone ESS shall be provided by QCA:

ii) The Scheduling of power for charging of ESS shall be done by SLDC as per contracts executed between the buyer and seller. The scheduling of power shall be done by SLDC as per separate requisition to be provided by QCA for charging of ESS.

Note- Separate sign convention shall be used for injection and drawl of the power from the grid."

4.2 Clause 4 (iii) of the Annexure – I of the Principal Regulation shall be substituted by following clause 4 (iii), namely:

"(iii) QCA shall declare the AvC and forecast generation in 15 minutes time block for each pooling station (Wind / Solar / Hybrid) with or without ESS on behalf of Wind / Solar / Hybrid Generators with or without ESS connected to a pooling station. The AvC and Forecast shall be declared on day ahead basis and can be revised during the real time operation."

4.3 New clauses 5 (iv) and (v) shall be added after existing clause 5 (iii) of the Principal Regulations, namely:

"(iv) In case of Wind/Solar/Hybrid Generators with ESS, each wind/solar/hybrid pooling station and ESS shall be metered separately with Special Energy Meter (SEM) along with AMR facility so that individual actual injection / drawl can be captured.

(v) In case of Wind/Solar/Hybrid Generators with ESS, a separate connection shall be obtained by such REGS from Distribution Licensee for drawl of power for Synchronization of plant or during shutdown of station or auxiliary consumption etc. during non-generation hours at it's cost."

4.4 Clause 6 (a) of the Annexure – I of the Principal Regulation shall be substituted by following clause 6 (a), namely:

"(a) SLDC shall compute the deviation charges of qualified (Wind / Solar / Hybrid of Wind and Solar Pooling Stations) with or without ESS or Stand-alone ESS based on the Schedules issued by SLDC and SEM data received by SLDC from concerned Discoms / STU or through AMR System."

4.5 Clause 6 (e)(I)(ii) of the Annexure – I of the Principal Regulation shall be substituted by following clause 6 (e)(I)(ii), namely:

"(ii) In the event of actual generation being lesser than the scheduled generation, the deviation charges for shortfall in generation shall be payable by such, wind or solar generator or hybrid of solar & wind generators, with or without ESS, which are State entities into State Deviation Pool Account as given in Table-IA and IIA enclosed at the end of operating procedure."

4.6 Clause 6 (e)(I)(iii) of the Annexure – I of the Principal Regulation shall be substituted by following clause 6 (e)(I)(iii), namely:

"(iii) In the event of the actual generation being more than the scheduled generation, the deviation charges for excess generation shall be payable to the, wind or solar generators or hybrid of Solar & Wind generators, with or without ESS. which are State entities from State Deviation Pool Account as given in Table- IB and IIB enclosed at the end of operating procedure."

4.7 Clause 6 (e)(I)(iv) of the Annexure – I of the Principal Regulation shall be substituted by following clause 6 (e)(I)(iv), namely:

"(iv) The Fixed Rate referred under Table-IA & IB and Table-IIA & IIB is the PPA rate as determined by the Commission under section 62 of the Electricity Act 2003 or adopted by the Commission under section 63 of the Electricity Act 2003. In case of multiple PPAs. the weighted average of the PPA rates shall be taken as the Fixed Rate. The wind. solar and Hybrid Solar Wind Generators with or without ESS shall furnish the PPA rates on affidavit for the purpose of deviation charge account preparation to SLDC supported by copy of the PPA."

4.8 Clause 6 (e)(I)(v) of the Annexure – I of the Principal Regulation shall be substituted by following clause 6 (e)(I)(v), namely:

"(v) Fixed Rate for Open Access participants where no PPA rate is available shall be the Average Power Purchase Cost (APPC) rate at the National level, as may be determined by the Central Commission from time to time through separate order:

Provided that in case of ESS considered as a General Seller. reference charge rate shall be considered as a deviation charge rate for computing the deviation charges."

4.9 Clause 6 (e)(II)(ii) of the Annexure – I of the Principal Regulation shall be substituted by following clause 6 (e)(II)(ii), namely:

"(ii) In the event of actual generation of a generating station or a pooling station, as the case may be, being less or more than the scheduled generation, the deviation charges for shortfall or excess generation shall be payable by the, wind or solar or hybrid of solar & wind generator (s), with or without ESS, or the QCA, as the case may be, to the State Deviation Pool Account, as given in Table - III or Table-IV enclosed at the end of these operating procedure."

4.10 Clause 6 (e)(II)(iv) of the Annexure – I of the Principal Regulation shall be substituted by following clause 6 (e)(II)(iv), namely:

"(iv) All, Wind or Solar or Hybrid of Solar and Wind Generators, with or without ESS and Stand-alone ESS shall be treated together as a virtual pool within the State Deviation Pool Account. Deviations for and within this virtual pool could be settled first at the rates and methodology stipulated above for above generating stations."

4.11 A new clause 6(e)(III) shall be added after existing clause 6(e)(II), namely:

"(III) Charges for deviation, in respect of a (i) Stand-alone Energy Storage System (ESS), (ii) ESS along with Wind/Solar Generators and only ESS is injecting or drawing power from the Grid, shall be computed as a general seller (Other than a RoR generating station and a generating station based on municipal solid waste) as specified in Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related matter) Regulations 2024 and subsequent amendments:

Provided that when ESS is in charging mode, the deviation by way of over drawl shall be treated as under injection and deviation by way of under drawl shall be treated as over injection and charges for deviation shall be settled accordingly:

Provided further that the computation of charges for Deviation, in respect of a stand-alone ESS being pumped hydro storage plant shall be the same as applicable to a solar generating station, for the period from the date of publication of these Regulations to 31.03.2026 after which computation of charges for Deviation in respect of charging of a Stand-alone ESS being pumped hydro storage plant shall be same as general seller.

Provided also that in case of ESS with wind/solar/Hybrid Generators injects power into the Grid without the injection schedule for intra state transactions, the deviation charges shall be computed as per the

methodology specified for the generating station with which the ESS is coupled."

4.12 Clause 8 of the Annexure – I of the Principal Regulation shall be substituted by following clause 8, namely:

"(8) QCA shall be required to submit to SLDC the following payment security in the form of a Bank Guarantee (BG) towards settlement of DSM charges of Wind and Solar Generating Stations with State Deviation Pool Account:

(i) For Solar Generation with or without ESS - Rs.10,000/- per MW for installed capacity of Solar Generating Station.

(ii) For Wind Generation with or without ESS - Rs. 40,000/- per MW for installed capacity of Wind Generating Station.

(iii) For Solar Wind Hybrid Generation Projects with or without ESS – Rs 25,000/- per MW for combined installed capacity of Solar and Wind Generating Stations or for the quantum in MW for which connectivity permission is granted whichever is less.

(iv) For Stand-alone ESS Projects - Rs. 5,000/- per MW for installed capacity of Stand-alone ESS Project.

(v) The BG (Bank Guarantee) submitted shall be valid for a period of 3 years and issued by any Scheduled Commercial Bank and shall be extended from time to time as required. The payment security shall be reviewed by the SLDC every year by the end of May based on actual incidence of DSM charges during the previous financial year.

(vi) In case of failure to pay into the "State Deviation Pool Account" within the specified time of 12 days from the date of issue of statement of charges for Deviation and payment is not made even after lapse of 60 days from the date of issuance of DSM account, the SLDC shall encash the BG of the concerned QCA and the concerned QCA shall recoup the same within a period of one (1) month. However, after implementation of weekly statement by the SLDC, the recoupment period shall be reduced to 15 days."

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Commission Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.